रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 492] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 26, 1986/अग्रहायण 5, 1908
No. 492] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOV. 26, 1986/AGRAHAYANA 5, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पर्यावरण और वन मंत्रालय

(पर्यावरण, वन और वन्य जीव विभाग)

(वन्य जीव प्रभाग)

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1986

अधिसूचना

का. आ. 868(अ):—केन्द्रीय सरकार, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 49ख की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत लैदर कार्पोरेशन लिमिटेड और स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार उपक्रम) को निर्यात के

प्रयोजनों के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 49ख की उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों से छूट देता है ।

[सं. 1-15/86-(डब्ल्यू एल-I)]

डा. एम. के. रणजीत सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

(Department of Environment, Forests and Wildlife)

(Wildlife Division)

New Delhi, the 26th November, 1986

NOTIFICATION

S.O. 868(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 49B of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby exempts for the purposes of export the Bharat Leather Corporation Ltd. and the State Trading Corporation of India Ltd. (Government of India Undertakings) from the provisions of sub-sections (1) and (2) of Section 49B of the said Act.

[No. 1-15|86-(WL-I)]

Dr. M. K. RANJITSINH, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986